RCMS 2018/00128

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी: श्री नरेन्द्र गुप्ता , आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 05 / 2016 (निगरानी)

उनवान

खातून बेगम पत्नी अब्दूल मजीद जाति मुसलमान निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0) (निगराकार)

बनाम

1. रफीक मोहम्मद पुत्र चांद मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी पानी की टंकी के पास, इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. ग्राम पंचायत इटावा पदेन अध्यक्ष नगर पालिका इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (गैर निगराकार)

उपस्थित :– 1. श्री श्याम लाल सुमन (अभिभाषक निगराकार)
2. लोकेश नन्दवाना (अभिभाषक गैरनिगराकार नं0 1)
3. श्री मुकुट बिहारी (अभिभाषक गैरनिगराकार नं0 2)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज0 अधिनियम –1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत इटावा पंचायत समिति इटावा जिला कोटा के द्वारा जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख नियम के अन्तर्गत दिनांक 27.10.2007 पट्टा सं0 25981 को निरस्त करवाये बाबत

प्रकरण संख्या : 04 / 2018 (निगरानी)

उनवान

खातून बेगम पत्नी अब्दूल मजीद जाति मुसलमान निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0) (निगराकार)

बनाम

1. मोहम्मद इकलाक पुत्र चांद मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. ग्राम पंचायत इटावा पदेन अध्यक्ष नगर पालिका इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (गैर निगराकार)

उपस्थित :– 1. श्री श्याम लाल सुमन (अभिभाषक निगराकार)
2. लोकेश नन्दवाना (अभिभाषक गैरनिगराकार नं0 1)
3. श्री मुकुट बिहारी (अभिभाषक गैरनिगराकार नं0 2)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज0 अधिनियम –1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत इटावा पंचायत समिति इटावा जिला कोटा के द्वारा जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख नियम के अन्तर्गत दिनांक 27.10.2007 पट्टा सं0 27016 को निरस्त करवाये बाबत

निर्णय दिनांक : 06.12..2019

1. निगराकार द्वारा ये निगरानियां अन्तर्गत धारा 97 राज0 पंचायती राज अधिनियम 1994 में निगराकार के द्वारा प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत इटावा मे

दिनांक 27.10.2007 को विवादित भूमि का गलत पट्टा गैरनिगराकार क्रम 1 को जारी किया जो न्याय नियम तथा तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से काबिले निरस्तनीय है । गैरनिगराकार क्रम 1 ने बिना स्वामित्व के, बिना अधिकार के ग्राम पंचायत इटावा ने विवादित भूमि का अवैध रूप से पट्टा जारी किया है, जो पट्टा आबादी भूमि का नही है । ग्राम पंचायत को आबादी भूमि नही होने से एवम् कृषि भूमि होने के कारण कृषि भूमि के बाबत कोई पट्टा ग्राम पंचायत जारी नही कर सकती । विवादित भूमि ख0 नं0 2440 का बाडा था, जिस पर घांसी खां पुत्र अमीर खां काबिज है, जिन्होंने विवादित भूमि बाडे के रूप मे निगराकार को निवास हेतु दी है । घांसी खां निगराकार के नाना है, जो भूमि निगराकार की है, वह पुश्तैनी है और निगराकार के हिस्से मे आई है । गैरनिगराकार क्रम 2 ने जो पट्टा जारी किया वह खसरा नं0 1786 का है, जो आबादी भूमि नही है ।गैर निगराकार क्रम 2 ने निगराकार क्रम 1 को जो पट्टा जारी किया वह निगराकार की भूमि है, जो मिलीभगत करके बिना मौका देखे, बिना नोटिफिकेशन के, बिना गवाही के पट्टा जारी किया है जो निरस्त होने योग्य है । साथ में निगराकार द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि गैर निगराकार क्रम 1 पट्टे की आड मे दिनांक 3.10.2016 को निगराकार की भूमि पर आया और निगराकार को धमकी दी कि विवादित भूमि का पट्टा मेरे हक मे है , आप इस जमीन को खाली करें । इसके पूर्व कोई ज्ञान निगराकार को उक्त पट्टे के बाबत नही था । इस पर निगराकार ने कार्यालय मे तलाश किया तो ग्राम पंचायत इटावा की पट्टे की फोटो प्रति प्राप्त हुई, तब सर्वप्रथम जानकारी हुई है । ऐसी स्थिति मे निगरानी प्रस्तुत करने मे विलम्ब जानकारी से पूर्व की अवधि क्षम्य योग्य होने से निगरानी प्रस्तुत करने मे हुआ विलम्ब कण्डोन फरमाया जाकर निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत इटावा का आदेश दिनांक 27.10.2007 जिसके द्वारा पट्टा गैर निगराकार क्रम 1 को जारी किया है को निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

2. निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरनिगराकार की तलबी की गई। गैरनिगराकारान नं0 1 व 2 की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुए । प्रस्तुत दोनो निगरानियों के तथ्य एक समान होने से एकसाथ निर्णित की जा रही है ।

3. निगराकार के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस मे कथन किया कि गैर निगराकार संख्या 1 को ग्राम पंचायत द्वारा अनियमित रूप से जारी किये गये पट्टे की भूमि कृषि भूमि है । जिसका पट्टा देने का अधिकार ग्राम पंचायत को नही है । उक्त भूमि निगराकार की है जो उसे उसके नाना घांसी खां से प्राप्त हुई है । गैर निगराकार सं0 1 को जो पट्टा जारी किया गया वह खसरा नं0 1786 का है जो आबादी भूमि नही है । ग्राम पंचायत द्वारा अवैधानिक रूप से मौका देखकर बिना गवाही लिए तथा बिना नोटिफिकेशन के पट्टा जारी किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । वकील निगराकार द्वारा अपने कथनो के समर्थन में 2010 (3)DNJ (Raj) Page 1147, 216(4) DNJ (Raj) Page 1799 & 2019(2) DNJ (Raj) Page 570 की नजीरे प्रस्तुत की है ।

4. गेर निगराकार संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपनी बहस मे कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा विधि अनुरूप पट्टा जारी किया गया है जिसमे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही है । जारी किये गये पट्टे की भूमि घांसी के खाते की भूमि नही है । जारी किये गये पट्टे की भूमि आबादी भूमि है जिसका नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है । निगराकार आराजी ख0 नं0 2437/2662 स्वंय घांसी के खातेदारी की होने व उक्त भूमि में बाडा होना बताते है परन्तु उक्त भूमि का पट्टा जारी नही किया जाकर ख0 नं0 1786 का पट्टा जारी किया गया है । अतः पट्टा सही रूप से जारी किए जाने के कारण निगरानी खारिज करने का निवेदन किया गया । विद्वान अभिभाषक गेर निगराकार सं0 2 ने अपनी बहस मे कथन किया कि जिस आदेश जिसकी पालना मे पट्टे जारी किये है उसको चेलेन्ज नही किया है । ग्राम पंचायत इटावा द्वारा पुराने मकान बने हुए थे उस भूमि पर काबिज व्यक्तियों को विधि अनुरूप पट्टे जारी किये है । ग्राम पंचायत इटावा ने जो पट्टा जारी किया है व ख0 नं0 1786 का है जो आबादी भूमि का है । ग्राम पंचायत इटावा द्वारा पट्टा सही रूप से जारी किए जाने के कारण निगरानी खारिज करने का निवेदन किया गया ।

5. पत्रावली का गहनातापूर्वक अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया । निगरानी के साथ निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि0 एक्ट मे देरी से अपील प्रस्तुत करने के जो कारण उल्लेखित किये है वे विश्वसनीय एवं सन्तोष जनक होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि0 एक्ट स्वीकार की जाकर विलम्ब की अवधि क्षम्य योग्य होने से न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए डिले अवधि कन्डोन करते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते है । पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) (क) (ख) के तहत पुराने मकान का ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है । उक्त भूमि आबादी भूमि होने के संबंध मे पटवारी द्वारा रिपोर्ट अंकित की गई है । आराजी ख0 नं0 1786 कृषि भूमि होने के संबंध मे निगराकार द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है । अतः निगराकार की आराजी ख0 नं0 1786 कृषि भूमि के संबंध मे पेश की गई आपत्ति स्वीकार करने योग्य नही है । जमाबन्दी सं0 2070-73 के अनुसार आराजी ख0 नं0 2440, 2437 / 2662 घांसी पुत्र अमीर खां के खातेदारी मे दर्ज है परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि का पट्टा जारी नही किया गया है निगराकार स्वंय को पट्टा संख्या 24576 जारी किया गया है परन्तु इसमे अंकित भूमि की सीमायें गैर निगराकार संख्या 1 को जारी पट्टे मे अंकित भूमि की सीमाये भिन्न है । अतः गैर निगराकार सं0 1 को जारी पट्टा व निगराकार को जारी पट्टे भिन्न है । गैर निगराकार को जारी पट्टे की भूमि आबादी भूमि होने का तथ्य निगराकार सिद्व नही कर पाये है तथा न ही उक्त भूमि निगराकार स्वंय अपनी होने सिद्व कर पाये है । विद्वान अभिभाषक निगराकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त भी इस प्रकरण पर चस्पा नही होते है । अतः ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 को जारी किये गये पट्टे मे किसी प्रकार की त्रुटि होना नही पाई जाती है ।

6. परिणामतः उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकारान की उपरोक्त दोनो निगरानी खारिज की जाती है।

7. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 06.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(श्री नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा